खात्मा

II—156
C.J.

MJCR-83/22

Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . . . .of 20 . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
09.11.2022	पुलिस थाना तेजगढ़ के आरक्षक जागेश्वर मिश्रा क्रमांक 382 द्वारा अपराध क्रमांक– 192/2020, धारा 363 भा.द.वि. में राज्य विरूद्ध अज्ञात के संदर्भ में खात्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। थाना तेजगढ़ से प्रस्तुत उक्त प्रतिवेदन को सीआईएस में दर्ज कराया जाकर विविध दाण्डिक एमजेसी में पजीबद्ध किया जावें। प्रकरण के फरियादी गनेश साहू खात्मा साक्ष्य हेतु उपस्थित है। प्रकरण खात्मा साक्ष्य/अग्रिम कार्यवाही हेतु कुछ समय पश्चाश्त पेश हो। (जगमोहन सिंह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तेंदूखेडा दमोह (म.प्र.) पुनश्चः राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित। प्रकरण खात्मा कथन हेतु नियत है। प्रकरण में फरियादी गनेश साहू का खात्मा कथन अंकित कर मुक्त किया गया। प्रकरण खात्मा प्रतिवेदन पर आदेश हेतु कुछ समय पश्चात पेश हो। (जगमोहन सिंह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तेंदूखेडा दमोह (म.प्र.) पुनश्चः प्रकरण में फरियादी गनेश साहू उपस्थित होकर अपना खात्मा कथन अंकित कराया है। दौरान कथन प्रकट किया है कि घटना दिनांक 04.06.2020 को समय 19.49 बजे स्थान फरियादी का मकान कस्वा तेजगढ़ की है।	Jageshwar 9/11/22 गनेश साहू

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	उक्त फरियादी द्वारा थाना तेजगढ़ में लेख कराये गये रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्र. 192/2020 धारा 363 भा0द0सं0 के अंतर्गत अपराध कायमी कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। लगभग 03-04 दिन पश्चात् उसकी पुत्री वंदना साहु मिल गयी थी। पुत्री वंदना साहू के मिल जाने से फरियादी गनेश साहू उक्त अपराध को आगे नहीं चलाया जाना व्यक्त करते हुये अपना खात्मा प्रतिवेदन स्वीकार किये जाने पर उसे किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि खात्मा प्रतिवेदन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से अनुशंसा सहित चैक कर अग्रेषित कराया गया है तथा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय दमोह के द्वारा खात्मा प्रकृति का होने से इस न्यायालय को निर्देशित किया गया है, इसके साथ ही फरियादी गनेश साहू नें दौरान कथन उक्त खात्मा स्वीकार किये जाने पर उसे किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होने से थाना तेजगढ़ के अपराध क्र. 192/2020 धारा 363 भा.द.वि में इस निर्देश के साथ खात्मा स्वीकार किया जाता है। खात्मा प्रतिवेदन से संबंधित डायरी थाना तेजगढ़ को वापस किया जावे। प्रकरण नस्तीबद्ध कर नियत समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे। (जगमोहन सिंह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तेंदूखेडा दमोह (म.प्र.)	केस डायरी प्राप्त

GCPB—43—DCGCPB—10-6-21—5,00,000.